2022/326

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री राहुल शर्मा जाति शर्मा		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

निवासी B-2/2 akash darshan colony (akashwani and doordarshan staff Quarters) Bhaikaka nagar Thaltej Ahmedabad

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 57 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल न जारी हुए
25.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 07.04.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री पुन्नीलाल रारिया पुत्र श्री पंचूलाल रारिया वार्ड संख्या 35 शिवमन्दिर के पास चांदमारी रोड धोबी घाट आबरोड जिला सिरोही के द्वारा किए गए अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 07.04.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री पुन्नीलाल रारिया पुत्र श्री पंचूलाल रारिया वार्ड संख्या 35 शिवमन्दिर के पास चांदमारी रोड धोबी घाट आबरोड जिला सिरोही के द्वारा किए गए अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 840 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 18:29:51 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner